पत्रांक–05 / न०वि० / ना०सू०–07 / 2016–74

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

(आवंटनादेश)
OSP
नागरिक सुविधा

प्रेषक,

सुनील कुमार,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
देवघर नगर निगम।

राँची, दिनांक–21/10/26

विषयः वित्तीय वर्ष 2026–27 में देवघर नगर निगम को 'नागरिक सुविधा' मद अंतर्गत OSP प्रक्षेत्र से कुल राशि रु० 1,90,60,600/- (एक करोड़ नब्बे लाख साठ हजार छः सौ रुपये) मात्र का आवंटन के संबंध में।

आदेशः–नगर आयुक्त, देवघर नगर निगम के पत्रांक–1960, दि०–19.09.2026 तथा विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–90, दि०–16-10-26 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026–27 में देवघर नगर निगम को 'नागरिक सुविधा' मद अंतर्गत OSP प्रक्षेत्र से कुल राशि रु० 1,90,60,600/- (एक करोड़ नब्बे लाख साठ हजार छः सौ रुपये) मात्र निम्नवत् आवंटित की जाती हैः–

क्र०	विवरणी	आवंटित राशि
1	Installation of Street Light on existing poles in DMC Area, under Doeghar Muncipal Corporation, Deoghar	1,90,60,600
	योग–	**1,90,60,600**

2. आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2026–27 में निम्नवत् शीर्षों में उपबंधित राशि से की जाएगीः–

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि (रु० करोड़ में)
मुख्य शीर्ष–2217–शहरी विकास–उप मुख्यशीर्ष–80–सामान्य–लघुशीर्ष–191–नगर निगमों को सहायता–उपशीर्ष–34–शहरी स्थानीय निकायों को नागरिक सुविधा सुरक्षा सुविधा हेतु सहाय्य अनुदान–01–शहरी स्थानीय निकायों में नागरिक सुविधायें, पथ प्रकाश, सामुदायिक /विवाह भवन, पार्क, शवदाह गृह का निर्माण–विस्तृत शीर्ष–06– अनुदान–79–सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) विपत्र कोड–48-S-2217-80-191-34-01-06-79	105.66

3. देवघर नगर निगम को निदेशित किया जाता है कि उक्त सामग्री का तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरांत ही योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा।

4. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नगर आयुक्त–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकरी, देवघर नगर निगम होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी देवघर कोषागार से वित्तीय वर्ष 2026–27 में की जाएगी।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी कर निकाय के पी.एल. खाता में संधारित करने के उपरांत आवश्यक भुगतान संबंधी कार्रवाई करेंगे।

6. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759 / वि०, दिनांक–02.03.2015 की कंडिका–5(iii) के आलोक में स्वीकृत सहायता अनुदान की राशि के विपत्र पर सक्षम प्राधिकार या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर के पश्चात् विपत्र झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 के अनुरूप कोषगार में प्रस्तुत किया जायगा।

7. देवघर नगर निगम के प्रशासी पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत राशि के Online आवंटन निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर राशि की निकासी करते हुए, स्वीकृत राशि से चयनित योजनाओं का कार्यान्वयन प्रतिवेदन विभाग को प्रत्येक माह के 05वीं तारीख तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

8. वित्तीय वर्ष 2024-25 में निकासी की गयी राशि की उपयोगिता संबंधी विवरणी निम्नवत् है:–

क्रं.	निकाय	स्वीकृत्यादेश की संख्या/तिथि	निकासी की गयी राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण–पत्र की रा
i	ii	iii	iv	v
1	देवघर नगर निगम	31/30.05.2024	30000000	30000000
		44/10.06.2024	3219750	3219750
		46/10.06.2024	20204336	20204336
		141/07.10.2024	3219752	3219752
		142/07.10.2024	20204336	20204336
		244/05.03.2025	3000000	3000000
		248/10.03.2025	200000	200000
		289/27.03.2025	8659948	8659948
		289/27.03.2025	1731990	1731990

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी कि झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम–2011 के बजट संबंधी धाराओं के अंतर्गत राशि सम्मिलित करने के उपरांत ही नियमानुसार स्वीकृत राशि का व्यय करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना अथवा राशि भुगतान का डुप्लीकेशन किसी भी परिस्थिति में न हो। ऐसी स्थिति आने पर इसके निराकरण हेतु सूचना विभाग को ससमय देंगे।

10. इस राशि की निकासी में वित्त नियमावली, झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 का अनुपालन किया जायेगा। भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को इससे संबंधित पुस्तकों/पंजियों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

11. उक्त योजना के कार्यान्वयन के क्रम में निर्धारित नियमों एवं विनियमों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

12. राशि की निकासी वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र (अनुदेश) सं०–2561/दिनांक–17.04.98 में सन्निहित प्रक्रियाओं एवं समय–समय पर निर्गत अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को निश्चित रूप से भेजा जायेगा एवं इसकी एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

13. इस राशि से योजनाओं का कार्यान्वयन प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा एवं भौतिक/वित्तीय उपलब्धियों का प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

14. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि० दिनांक–20.03.2015 (कंडिका–5) के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

अतः संबंधित कोषागार पदाधिकारी, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि० दिनांक–20.03.2015 के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

21.10.26

(सुनील कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–05/न०वि०/ना०सू०–07/2016–74, राँची, दि०– 21/10/26

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखण्ड/माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री के अपर मुख्य सचिव/योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, नगर विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त एवं उपायुक्त/संयुक्त सचिव, बजट शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची/संबंधित निकाय के नगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त/उप नगर आयुक्त/ कार्यपालक पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/नोडल पदाधिकारी, e-Procurement Cell/श्री निर्मल कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी को ऑनलाईन आवंटन हेतु/श्री उत्कर्ष, आईटी विशेषज्ञ, राज्य शहरी विकास अभिकरण (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.10.26

सरकार के प्रधान सचिव।